

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: आदेश ::—

सं० सं०-17/विविध- 01-207/2023

पटना, दिनांक :-

डॉ० रश्मि कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), नेत्र विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29.11.2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-04.09.2023 से 31.01.2024 तक कुल-150 (एक सौ पचास) दिनों का द्वितीय संतान हेतु उपभोगित मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

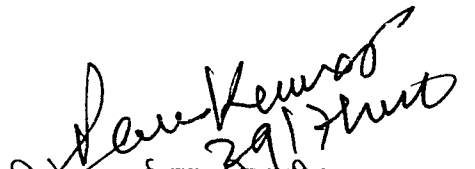
ज्ञापांक :-17/विविध- 01-207/2023 - 938(17) पटना, दिनांक :- 30.07.26

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० रश्मि कुमारी, सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर), नेत्र विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।